



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 456 राँची, गुरुवार,

27 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 मई, 2026

संख्या-5/आरोप-01-61/2023 का.-36149 (HRMS)--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2563, दिनांक- 29.08.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-112/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-01:- गुमला जिला में NFSA/JSFSS योजना के तहत 1938 लाभुकों को PVTG श्रेणी में परिवर्तन किया गया।

आरोप संख्या-02:- परिवर्तन का कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के लॉगइन से किया गया है, परन्तु इसका अनुश्रवण ससमय नहीं किया गया।

आरोप संख्या-03:- Caste Change होने के कारण गैर PVTG श्रेणी के लाभुकों को गलत तरीके से राष्ट्रीय खाद्य, सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ पहुँचाया गया। इससे वास्तविक PVTG श्रेणी के परिवार लाभ लेने से वंचित रहें।

आरोप संख्या-04:- आपका आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरुद्ध है।

2. उक्त गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-25641(HRMS), दिनांक-31.05.2024 के द्वारा श्री समदानी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।
3. विभागीय कार्यवाही के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष में श्री समदानी के विरुद्ध कोई भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया ।
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त किया गया ।
5. श्री समदानी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत साक्ष्यों को प्रदर्श(Exhibit) करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए पुनः जाँच करने तथा विभागीय कार्यवाही हेतु श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को नामित करने एवं मूल अभिलेख को वापस करने संबंधी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 712, दिनांक-10.02.2026 के द्वारा मूल अभिलेख श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करने हेतु जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।
6. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-644, दिनांक-16.04.2026 के द्वारा पुनः सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निम्नवत् निष्कर्ष अंकित किया गया:-

“उपलब्ध अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन, गवाहों के कथनों, आरोपित पदाधिकारी के बचाव-बयान तथा साक्ष्यों के समग्र परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं विधिक सिद्धांतों के आलोक में विश्लेषण करने के उपरांत यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि—

- 1938 राशन कार्डों के PVTG श्रेणी में परिवर्तन की घटना अवश्य हुई परंतु उपलब्ध अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त परिवर्तन आरोपित पदाधिकारी के निर्देश अथवा उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता से किया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश राशन कार्ड पात्र पाए गए तथा अपात्र कार्डों को निरस्त कर दिया गया, जिससे संभावित अनियमितता का निवारण कर दिया गया।

- DSO Login के माध्यम से किए गए ऑनलाइन परिवर्तनों के संबंध में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि उक्त कार्य कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत संपादित किए जाते थे तथा उस समय प्रणाली में OTP अथवा अलर्ट आधारित नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। अतः केवल लॉगिन के आधार पर आरोपित पदाधिकारी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी निर्धारित करना विधिसम्मत नहीं प्रतीत होता।

- गैर-PVTG लाभुकों को अनुचित लाभ प्रदान किए जाने का आरोप भी उपलब्ध साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता। जांच समिति द्वारा अपात्र पाए गए कार्डों को निरस्त कर दिया गया तथा इस प्रक्रिया से वास्तविक PVTG परिवारों के अधिकारों के स्थायी रूप से प्रभावित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

- सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के उल्लंघन के संबंध में भी यह स्थापित नहीं हो सका कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर पद का दुरुपयोग किया गया हो अथवा उनके आचरण में ऐसी कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा निहित थी जो कदाचार की श्रेणी में आती हो।

विभागीय न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार विभागीय कार्यवाही में दोषसिद्धि तभी संभव है जब आरोपों को स्पष्ट, प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित किया जा सके। संदेह, अनुमान अथवा परिस्थितिजन्य संभावना के आधार पर किसी सरकारी सेवक को दोषी ठहराना विधिसम्मत नहीं माना गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी की प्रत्यक्ष संलिप्तता अथवा जानबूझकर की गई अनियमितता सिद्ध नहीं होती। इसके विपरीत, अनियमितता की जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा जांच समिति का गठन कराना, अपात्र कार्डों का निरस्तीकरण कराना, संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों को कार्यमुक्त करना तथा प्राथमिकी दर्ज कराना यह दर्शाता है कि उन्होंने प्रशासनिक दायित्वों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों एवं विधिक परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि—

आरोप संख्या-01, 02, 03 एवं 04 के अंतर्गत आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप संलग्न साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होते हैं।

7. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2563, दिनांक- 29.08.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री समदानी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप से श्री गुलाम समदानी, झां०प्र०से०(कोटि क्रमांक-112/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है ।

8. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति श्री गुलाम समदानी, झां०प्र०से०(कोटि क्रमांक-112/20) एवं अन्य संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GULAM SAMDANI 20080400107	समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2563, दिनांक- 29.08.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री समदानी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप से श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-112/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
